UPBS120002582021

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 205/2021

चन्द्र प्रकाश बनाम राजेश कुमार आदि

11.11.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी प्रथम व द्वितीय वर्ग द्वारा वादोत्तर कागज सं० 23 क 1 दाखिल किया गया है, परन्तु प्रतिवादी तृतीय वर्ग द्वारा वादोत्तर दाखिल नहीं किया गया है। अतः उनके वादोत्तर का अवसर समाप्त कर उनके विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की जाती है। वादी अधिवक्ता द्वारा वादबिन्दुओं के विरचन पर बल दिया गया। वादी एवं प्रतिवादी प्रथम व द्वितीय वर्ग के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किए गए–

01. क्या वादी वादपत्र में उल्लिखित अभिकथनों के आधार पर प्रश्नगत दस्तावेज बैनामा दिनांकित 18.02.2021 एवं 23.02.2021 को मंसूख करा पाने का अधिकारी है?
02. क्या वादी विवादित भूमि आराजी सं० 170 रकबा 0.109 हे० का मालिक व काबिज हैं?
03. क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?
04. क्या वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
05. क्या दावा वादी धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
06. क्या दावा वादी मौन स्वीकृति एवं विबन्धन के सिद्धान्त से बाधित है?
07. क्या दावा वादी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?
08. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का हकदार है?

उपरोक्त वादबिन्दुओं के अलावा न तो कोई वादबिन्दु बनता है, न ही पक्षकारों द्वारा किसी अन्य वादबिन्दु के विरचन पर बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वादबिन्दु सं० 3 व 4 दिनांक 20.01.2023 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।